राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा / बैठक / 2014 / 1537 दिनांकः 28/8/2014

_लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 08.09.14_

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालयों / कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारियों / लेखाकारों एवं लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 08.09.14 को मध्यान्ह पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त लेखाकर्मी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना बैठक में अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. सभी सीएमएचओ, पीएमओ कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी / स0 लेखाधिकारी / लेखाकार अपने कार्यालयों का IFMS में दर्शाये गये बजट आवंटन एवं उसके विरूद्ध किये गये वास्तविक व्यय का मदवार महालेखाकार, राज0, जयपुर के लेखों से अंक मिलान करके अंक मिलान का प्रमाण पत्र बैठक में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जिन कार्यालयों में लेखाकर्मी का पद रिक्त है या लेखाकर्मी का पद नहीं है उन कार्यालयों का अंक मिलान सीएमएमओ में पदस्थापित लेखाधिकारी / स0 लेखाधिकारी / लेखाकार अपने कार्यालयों के साथ सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधि से अंक मिलान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. **मासिक व्यय विवरणः– सम्बन्धित सहा. लेखाधिकारी, अपने–अपने अधीनस्थ कार्या. / चिकित्सा संस्थानों के माह अगस्त, 2014 तक के समस्त व्यय मदों (आयो. भिन्न / आयोजना / सीएसएस) के मासिक व्यय विवरण बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे, यह सुनिश्चित करें कि व्यय मानचित्रों में टी.वी. न0 आवश्यक रूप से अंकित हो।**
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जाँच प्रतिवेदनों एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों में दोषी कर्मचारी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं करने, वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। अतः नवीनतम स्थिति एवं बकाया अनुपालनाऐं बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
4. महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाऐं जिनकी सूची गत बैठक में उपलब्ध करायी गयी थी यदि अभी तक नहीं भिजवायी गयी है। बकाया समस्त अनुपालनाऐं बैठक दिनांक 08.09.14 में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
5. आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में निदेशालय द्वारा सभी कार्यालयों को स्मरण–पत्र जारी किये गये है किन्तु अभी तक भी काफी आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना तक अप्राप्त है। अतः समस्त बकाया प्रथम अनुपालनाऐं एवं बकाया आक्षेपों की अनुपालनाऐं बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
6. चोरी / गबन के सम्बन्ध में समस्त बकाया प्रकरणों की केसवार नवीनतम सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
7. अनुपयोगी सामग्री एवं नाकारा वाहनों की नीलामी से प्राप्त आय से संबंधित दिनांक 31.08.14 तक की सूचना जोन स्तर समेकित कर दिये गये निर्देशानुसार प्रपत्र 3 व 7 के प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
8. लम्बित ओ.बी. आईटम्स एवं एसी / डीसी बिलों के निस्तारण की सूचना जोन स्तर पर समेकित कर बैठक में प्रस्तुत करें। बकाया डीसी बिल बैठक में साथ लेकर आवें।
9. **प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाऐं सभी प्रकार से पूर्ण हो सुनिश्चित किया जा सके। प्रपत्र संख्या 1, 4 एवं 8 की सूचना अलग एवं प्रपत्र संख्या 2, 3, 5, 6 एवं 7 की सूचना अलग से जोनवार समेकित कर बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावें।**

लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः लेखा / बैठक / 2014 / 1537 दिनांकः 28/8/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
3. अति0 निदेशक (राजपत्रित / अराजपत्रित) मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय / मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैठी कॉलोनी, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) / परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन / मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण / मुख्यालय।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट / निरीक्षण) / लेखाधिकारी मुख्यालय।
11. भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहनएवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
12. समस्त लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
13. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
14. समस्त सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
15. लेखाधिकारी / स0ले0अ0 (बजट / आन्तरिक अंकेक्षण / महालेखाकार अंकेक्षण / भण्डार कयण संगठन) मुख्यालय जयपुर।
16. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
17. केयर टेकर, कृपया दिनांक 08.09.14 को प्रातः 11.00 बजे से मिटिंग हॉल आरक्षित करें।
18. रक्षित पत्रावली।

Mail ID – famh-rj@nic.in
0141-2225334

लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

D:\Rajendra ji AO\Letter-6.doc